न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –62/2022

अनवान

1. मांगीलाल पिता श्री हीरा जी, जाति भील, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी झोपडिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. सोहनी पत्नी मांगीलाल जी, जाति भील, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी झोपडिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. गुलाब सिंह आत्मज श्री अमरसिंह जी, जाति राजपूत, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी गुड्डा खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, रावतभाटा।
3. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बलकुण्डी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,183 व धारा–136 रा0 का0 अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सी.पी.सी.

उपस्थित – श्री प्रदीप कुमार बीलू अभिभाषक वादी
श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 08.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का कंवरपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में वादीगण के नाम खातेदर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमियां अवस्थित है जो वादीगण को दिनांक 17.06.1992 में आवंटन अधिकारी सहायक कलेक्टर रावतभाटा द्वारा आवंटित की गई थी, आवंटनशुदा कृषि भूमियों का खसरा संख्या 51, रकबा 5 बीघा लगान 3 रूपये 75 पैसा है जिसके पैमाईश के बाद के नये नम्बर आराजी नम्बर 229 रकबा 0.74 पड़े है। उक्त वर्णित आवंटित आराजी जैर बहस के आवंटन के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमियों का कब्जा तत्कालीन पटवारी साहब ने वादी को मौकेक पर चलबर विधिवत रूप से सुपुर्द कर दिया था तभी से वादी इन आराजी जैर बहस पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता हुआ चला आ रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के आवंटन के पश्चात् तत्कालीन पटवारी एवं तहसीलदार साहब द्वारा मुझे इन आवंटनशुदा कृषि भूमि का कब्जा विधिवत रूप से मौके पर चलकर जहां दिया था वही पर मैं काश्त करता हुआ चला आ रहा हूं तथ इन आराजी जैर बहस का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा हूं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों का बन्दोबस्त हाल ही में पूरी पंचायत समिति/रावतभाटा तहसील के बन्दोबस्त के साथ हुआ था तथा बन्दोबस्त के पश्चात् सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों के भूलवश व त्रुटिवश वादी की आंवटित शुदा उक्त कृषि भूमियों को आबादी हेतु आरक्षित कर इसके नये नम्बर 229 पर दर्ज रिकॉर्ड कर दी है अर्थात् आंवटितशुदा भूमि के सेटलमेंट के पूर्व के नम्बर आराजी संख्या 51 थे जो सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 229 पड़े है जबकि यह भूमि आबादी भूमि नहीं होकर कृषि यो[illegible] जो मुझ वादी के नाम आवंटित हुई थी। वादी के उक्त वर्णित कृषि भूमियों को [illegible] ने बिलानाम सरकार घोषित कर आबादी हेतु आरक्षित कर [illegible] सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त कृषि भूमि का रकबा 5 बीघा दर्ज रिकॉर्ड था जिसकी जगह 3.5 बीघा दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जिसे पुनः दुरूस्त कर 5 बीघा रकबा दर्ज किया [illegible] न्यायोचित है जबकि यह कृषि भूमियां वादी के कब्जे काश्त की होकर वादी इन पर काफी लम्बे समय से काश्त करता चला आ रहा है जिसे भूल व त्रुटिवश दर्ज रिकॉर्ड कर दी गयी जिसे सुधारा जाना आवश्यक है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमियों को वादीगण के नाम खाते घोषित कर दर्ज रिकॉर्ड किया जाकर रिकॉर्ड से अमल दरामद किया जाना न्यायोचित हैं। वादीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वर्णित कृषि भूमियां वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही थी जिन पर हाल ही में दिनांक 24.10.2008 को प्रतिवादी संख्या एक गुलाब सिंह राजपूत ने जबरन उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर कब्जा कर लिया तथा उन्हें जबरदस्ती हांक जोतकर फसल बो दी एवं हम वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया जिसकी की उन्हें कोई अधिकार नहीं है जिन्हें उक्त वर्णित आराजी जैर बहस से बेदखल कर कृषि भूमियों का कब्जा वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित हैं। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि वादीगण के कब्जेकाश्त की उक्त वर्णित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह ने जबरन उन्हें बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल किया जाये तथा बेदखल कर उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादीगण के कब्जे सुपुर्द की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार स्वयं न्यायालय में उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र पुरोहित ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु मुकर्रर है। वादग्रस्त संपत्ति/आराजी ग्राम अमरपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 229 की वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। आराजी संख्या 229 आदेश क्रमांक 18.07.2008 में आबादी हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति हुई थी तथा आबादी भूमि में खातेदारी अधिकार का अनुतोष राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होने से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है, वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। अन्य वजुआत वक्त बहस अर्ज किये जाएंगें। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण/विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के ताहिद में जवाब देने से इन्कार कर सिधे बहस करने का अनुरोध किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त संपत्ति/आराजी ग्राम अमरपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 229 की वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। आराजी संख्या 229 आदेश क्रमांक 603 दिनांक 18.07.2008 में आबादी हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति हुई थी तथा आबादी भूमि में खातेदारी अधिकार का अनुतोष राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होने से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है, वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि ग्राम मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का कंवरपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में वादीगण के नाम खातेदर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमियां अवस्थित है जो वादीगण को दिनांक 17.06.1992 में आवंटन अधिकारी सहायक [illegible] रावतभाटा द्वारा आवंटित की गई थी, आवंटनशुदा कृषि भूमियों का खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] बीघा लगान 3 रूपये 75 पैसा है जिसके पैमाईश के बाद के [illegible] 0.74 [illegible] है। उक्त वर्णित आवंटित आराजी जैर बहस के [illegible] वर्णित कृषि भूमियों का कब्जा तत्कालीन पटवारी साहब ने वादी को मौकेक पर चलबर वि[illegible] रूप से सुपुर्द कर दिया था तभी से वादी इन आराजी जैर बहस पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता हुआ चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दुर्भावना से तथा प्रकरण मे देरी करने क उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

खसरा संख्या 51, रकबा 5 बीघा के संबंध में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं धारा 136 रा.टी.ए. के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि कि ग्राम मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का कंवरपुरा, हाल बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में वादीगण के नाम खातेदर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमिया अवस्थित है जो वादीगण को दिनांक 17.06.1992 में आवंटन अधिकारी सहायक कलेक्टर रावतभाटा द्वारा आवंटित की गई थी, आवंटनशुदा कृषि भूमियों का खसरा संख्या 51, रकबा 5 बीघा लगान 3 रूपये 75 पैसा है जिसपे पैमाईश के बाद के नये नम्बर आराजी नम्बर 229 रकबा 0.74 पड़े है। उक्त वर्णित आवंटित आराजी जैर बहस के आवंटन के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमियों का कब्जा तत्कालीन पटवारी साहब ने वादी को मौके पर चलकर विधिवत रूप से सुपुर्द कर दिया था तभी से वादी इन आराजी जैर बहस पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता हुआ चला आ रहा हैं। वादीगण के कब्जेकाश्त की उक्त वर्णित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह ने जबरन उन्हें बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल किया जाये तथा बेदखल कर उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादीगण के कब्जे सुपुर्द की जावें, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के ताहिद में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा आराजी संख्या 229 रकबा 0.74है0 भूमि को पेमाईश के पश्चात नये नम्बर होने का निवेदन कर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया है, किन्तु पत्रावली में शामिल दस्तावेजों में जमाबंदी सम्वत 2064 में आराजी संख्या 229 रकबा 0.74है0 भूमि आबादी हेतु आरक्षित की गई है। उक्त भूमि आबादी दर्ज रिकार्ड होने से हज न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना प्रतित नही होता है, जिससे वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा व बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत किया जो विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का बलकुण्डीकलां की खाता संख्या 1 पर अंकित साबिक आराजी संख्या 229 रकबा 0.74है0 के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं बेदखली का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गमेरिया)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gago
Date: 2025.07.29 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested